राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4390/2025

एजाज हुसैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.09.2025
आदेश की दिनांक : 10.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, माण्डल, भीलवाडा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2025 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजाखेडा, धौलपुर किया गया है और अपीलार्थी के पद को रिक्त रखा गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.10.2018 के द्वारा साक्षात्कार के आधार पर उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया था। अन्य जिले के लिये अपीलार्थी ने कभी कोई आवेदन नहीं दिया। नियुक्ति सेवा नियम, 2023 के अनुसार चयन समिति द्वारा चयन करने के पश्चात् ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों का पदस्थापन करने का प्रावधान है और अपीलार्थी के बिना आवेदन के और बिना सहमति के ऐसे विद्यालय में पदस्थापन किया जाना प्रावधानों के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ज्योति शर्मा बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले में कार्मिक के बिना सहमति के पदस्थापन को अनुचित माना है। अपीलार्थी का

पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग व मुख्यमंत्री कार्यालय से बिना छूट प्राप्त किये किया गया है। अपीलार्थी स्वयं शुगर की बीमारी से पीडित है, फिर भी अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 600 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को भीलवाडा में पदस्थापित किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का पदस्थापन प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया गया है और सक्षम स्तर से माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति पश्चात् ही स्थानांतरण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14079/2015 इंदु बाला पारीक बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 जिसमें राजकीय सिस्टम को सतत् व अच्छे तरीके से चलाने के संबंध में किये गये स्थानांतरणों को सही माना है और अपीलार्थी का स्थानांतरण छात्रहित को ध्यान में रखते हुये प्रशासनिक आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, माण्डल, भीलवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2025 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजाखेडा, धौलपुर किया गया है और अपीलार्थी के पद को रिक्त रखा गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा माण्डल, भीलवाडा से राजाखेडा, धौलपुर स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है और वर्ष 2018 से अपीलार्थी निरंतर एक ही स्थान पर कार्यरत है। स्थानांतरण सेवा का अभिन्न अंग है और प्रशासनिक आधार पर छात्रहित को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें

छात्रहित/जनहित में कहां पर ली जानी हैं। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य